जी. के मोहन और अन्य

बनाम

भारत और अन्य का संघ

12 अक्टूबर, 2007

(ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-वर्गीकरण वर्ग

व्यक्तियों की संख्या-नियम 6(4)(ए) के तहत चार्जमैन ग्रेड द्वितीय जो अनुसूची तृतीय के संदर्भ में आवश्यक योग्यता रखते हैं और उन्हें ग्रेड द्वितीय में रखा गया है और जिनके पास नहीं है उन्हें ग्रेड चतुर्थ में रखा गया है। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर माना गया है कि अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 उसी वर्ग के भीतर लागू होता है जो याचिका में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय के पास है पूर्ववर्ती चार्जमैन ग्रेड द्वितीय की तुलना में बेहतर रखा गया हे, जिनके पास योग्यता नहीं है वे टिकाऊ नहीं है क्योंकि दोनों दो अलग-अलग वर्ग हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तकनीकी कैडर भर्ती नियम, 1995 नियम 6(4)(ए)।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तकनीकी कैडर भर्ती नियम, 1995 नियम 6(4)(ए) के अनुसार चार्जमैन ग्रेड द्वितीय जिनके पास

अनुसूची तृतीय में निर्धारित योग्यताएं थी, उन्हें श्रेणी द्वितीय के ग्रेड द्वितीय में रखा गया था, जबकि अपीलार्थी चार्जमैन ग्रेड द्वितीय के पास निर्धारित योग्यता नहीं थी और उन्हें श्रेणी प्रथम के ग्रेड चतुर्थ में रखा गया था। अपीलार्थी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाले नियम 6(4)(ए) को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया कि नियमों के तहत पूर्ववर्ती चार्जमैन ग्रेड द्वितीय को विभाजित किया गया था अर्थात् वे जिनके पास अनुसूची तृतीय की योग्यता थी और वे जिनके पास योग्यता नहीं थी। इसमें अपीलार्थियों को सभी परिणामी लाभों के साथ श्रेणी द्वितीय के ग्रेड द्वितीय में रखने का निर्देश देने की मांग की गई। आवेदन और रिट याचिकाएं भी खारिज कर दी गई। ऐसे में वर्तमान में अपील प्रस्तुत की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि:

1.1 शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। पूर्ववर्ती चार्जमैन ग्रेड द्वितीय जिनके पास अनुसूची 3 में उल्लिखित योग्यताएँ थीं उन्हें उच्च श्रेणी में रखा गया तथा ऐसे अपीलार्थी जिनके पास उक्त योग्यताएँ नहीं थीं उन्हें निचली श्रेणी में रखा गया है। इस तरह के वर्गीकरण से अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। {पैरा 8 एवं 9} {196 बी-डी}

1.2 अनुच्छेद 14 उसी वर्ग के भीतर लागू होता है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय को बेहतर जगह रखा गया क्योंकि उनके पास नियम 6(4)(ए) के तहत योग्यताएँ थीं। इसके विपरीत चार्जमैन ग्रेड द्वितीय जिनके पास अनुसूची 3 की योग्यताएँ नहीं हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ड्राफ्ट्समैन और चार्जमैन दो अलग-अलग वर्ग हैं, इसलिए उनके बीच भेदभाव का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। {पैरा 10 एवं 11} {196 डी-ई}

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5045-5100/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के डब्ल्यू. पी. क्रमांक 11728-55/2000, 11701-727/2000 एवं 10723/2000 में अंतिम आदेश दिनांकित 15.02.2001 से।

जी. उमापति, ए. लियो जी. रोजारियो और राकेश के. शर्मा याचिकाकर्ता की ओर से।

अशोक भान, आर. एस. राणा, अमन सिन्हा, आर. सी. कथिया और बी. वी. बलराम दास उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा दिया गया था।

1. ये याचिकाएं दायर की गई हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय 15.02.2001 दिनांकित आदेशों के विरूद्ध डब्ल्यू. पी. संख्या

में 11728-755/2000, सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी. सं. 11701-11727/2000 डब्ल्यू. पी. नं. 10723/2000 दायर की गई है। पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी गई और अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं ने ओ. ए. क्रमांक 1040/1998, 1055-1081/1988 आदि दायर किया।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर पीठ के समक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास अधिनियम के नियम 6(4)(ए) को रद्द करने के निर्देश की मांग करते हुए विकास संगठन, तकनीकी संवर्ग भर्ती नियम, 1995 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में और 16 संविधान का, और आवेदकों/अपीलार्थियों को रखने के निर्देश के लिए 26.08.1995 से सभी परिणामी प्रभावों के साथ श्रेणी द्वितीय के ग्रेड द्वितीय में लाभ होता है।

आवेदक (हमसे पहले अपीलकर्ता) चार्जमैन ग्रेड द्वितीय थे। भारत संघ, रक्षा मंत्रालय की सेवा में। संघ का भारत ने 26.8.1995 पर उपरोक्त नियम पेश किया। लेकिन हम केवल नियम 6(4)(ए) से संबंधित जो निम्नानुसार कहता है:

> "(4)(ए)। मुख्य ग्लास ब्लोअर, कलाकार के पदों पर आसीन सभी व्यक्ति सह-फोटोग्राफर, वाणिज्यिक कलाकार, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ग्रेड प्रथम, चार्जमैन ग्रेड द्वितीय और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड

द्वितीय को श्रेणी द्वितीय के ग्रेड द्वितीय में रखा गया है। बशर्ते कि उनके पास तकनीकी श्रेणी में भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं हों। अनुसूची तृतीय में निर्धारित तकनीकी सहायक ग्रेड ए में भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं, ऐसा न होने पर उन्हें श्रेणी प्रथम के ग्रेड चतुर्थ में रखा जाएगा।"

नोट: इस उद्देश्य के लिए ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय पदों के मौजूदा पदाधिकारी जिसके पास न्यूनतम एक अवधि की वर्ष की ड्राफ्ट्समैनशिप का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो तो उसे आवश्यक योग्यताओं वाला माना जाएगा।

नियम 6 (4)(ए) के अवलोकन से पता चलता है कि वे चार्जमैन जो अनुसूची तृतीय में निर्धारित योग्यता रखते हैं,उन्हें श्रेणी द्वितीय का ग्रेड 2 में रखा जाएगा जबकि जिनके पास यह योग्यता नहीं हैं उन्हें श्रेणी प्रथम के ग्रेड 4 में रखा जाएगा।

मान लीजिए, आवेदकों/याचिकाकर्ताओं के पास नियमों की अनुसूची तृतीय में दी गई येग्यताएं नहीं थीं इसलिए उन्हें श्रेणी प्रथम के ग्रेड चतुर्थ में रखा गया था, उनकी शिकायत यह है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि 1995 में नियम लागू होने से पहले सभी चार्जमैन ग्रेड द्वितीय एक ही श्रेणी में थे, जबकि अब नियम 6 (4)(ए) के तहत् पूर्ववर्ती

चार्जमैन ग्रेड द्वितीय को दो श्रेणियों अर्थात् वे जो अनुसूची तृतीय में योग्यता रखते हैं और वे जिनके पास अनुसूची तृतीय की योग्यता नहीं है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि अपीलार्थियों की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हमें खेद है कि हम सहमत नहीं हो सकते। अब कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। पूर्ववर्ती चार्जमैन ग्रेड द्वितीय, जिनके पास अनुसूची तृतीय में उल्लिखित योग्यताएं थीं, उन्हें उच्च श्रेणी में रखा गया है, जबकि अपीलार्थियों के पास उक्त योग्यता नहीं होने के कारण निचली श्रेणी में रखा गयाा है। हमारी राय में इस तरह के वर्गीकरण पर अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है।

यह सर्वविदित है कि वर्गीकरण शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है और ऐसा करने पर अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि ड्राफ्ट्समैन गे्रड द्वितीय को नोट टू रूल 6(4)(ए) के अनुसार पूर्ववर्ती चार्जमैन ग्रेड द्वितीय की तुलना में बेहतर रखा गया है, जिनके पास अनुसूची 3 में योग्यता नहीं थी।

हमारी राय में, इस निवेदन में भी कोई गुण नहीं हैं यह सर्वविदित है कि अनुच्छेद 14 एक ही वर्ग में लागू होता है। ड्राफ्ट्समैन और चार्जमैन दो अलग-अलग वर्ग है, और इसलिए उनके बीच भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है।

उपर्युक्त कारणों से इनमें कोई योग्यता नहीं है। अपील, तदनुसार अपीलें खारिज की जाती है। मूल्य के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

एन.जे. याचिकाएं खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रचना बालोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।